स्वागत

रेल भर्त्ती बोर्ड, पटना के वेब–साईट पर आपका स्वागत है। इस बेव साइट को आवेदकों की जरूरतों को पूरा करने और सूचनाओं एवं आवेदन–पत्र को आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा मुहैया कराने के लिए स्थापित किया गया है। इस बेवसाइट पर समय–समय पर विभिन्न पदो के लिए आयोजित परीक्षाओं के परिणाम भी प्रकाशित किये जाते हैं।

रेल भर्त्ती बोर्ड की कार्य – प्रणाली :–

रेल भर्त्ती बोर्ड रोजगार समाचार (भारत सरकार का एक प्रकाशन) के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करती है। रोजगार अधिसूचना इंटरनेट वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाती है। आवेदनों की योग्यता संबंधी शर्त्तों के अनुरूप जाँच की जाती है। तत्पश्चात् योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा से एक महीना पूर्व प्रवेश – पत्र भेज दिये जाते हैं। अधिकांश पदो के लिए लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। कुछ पदो के लिए दो स्तरीय लिखित परीक्षाओं का भी प्रावधान है। परिचालन संरक्षा से संबंधित पदो के लिए अभिरूचि जाँच भी ली जाती है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के आवेदन–प्रपत्र की जाँच की जाती है और उन्हें मूल प्रमाण–पत्रों एवं दस्तावेजों एवं अभ्यर्थिता के सत्यापन हेतु बुलाया जाता है। सत्यापनोपरांत सफल अभ्यर्थियों का रिक्तियों के अनुरूप पैनल (नामिका) सक्षम प्राधिकारियों के पास अनुशंसित कर दिया जाता है। नियुक्ति के पहले अभ्यर्थियों से चिकित्सकीय परीक्षण में अभ्यर्थियों से उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक चरण में सफल अभ्यर्थियों के परिणाम रेल भर्त्ती बोर्ड, पटना के सूचना पट्ट तथा इंटरनेट पर प्रदर्शित कर दिये जाते हैं और चयन होने का संपुष्टि–पत्र भर्त्ती एवं चयन प्रक्रिया मेघा पर आधारित होती है एवं यह रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग इत्यादि जैसे विशेष जातियों/समुदायें के नौकरियों में आरक्षण सहित अन्य नियम एवं शर्तों के विषयाधीन है। भूतपूर्व सैनिक भी नियमानुसार आरक्षण के हकदार हैं। समस्त कंप्यूटरीकृत भर्त्ती प्रणाली निरपेक्ष रूप से बिना भय या पक्षपात के संचालित की जाती है। इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, पैरवी और विवेकाधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है। कदाचार और पररूपधारण में लिप्त पाये गये अभ्यर्थियों के साथ कड़ाई से पेश आया जाता है।

रेल भर्त्ती नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्थापित नियमों एवं मार्गदर्शी नीतियों के अनुसार रेल भर्त्ती बोर्ड कार्य करती है।

रेल भर्त्ती बोर्ड, पटना का इतिहास :–

रेल भर्त्ती बोर्ड, पटना का गठन सन् 1961 में हुआ जब रेल सेवा आयोग का एक छोटा सा कार्यालय दानापुर में स्थापित किया गया था। उस समय इस कार्यालय में अधिकारी के रूप में सिर्फ सहायक सचिव और तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कुछ ही कर्मचारी प्रतिनियुक्त हुए थे। यह कार्यालय सन् 1981 तक बिहार राज्य के सभी समुदायों के अभ्यर्थियों की भर्त्ती में रेल सेवा आयोग, कलकत्ता, ईलाहाबाद एवं मुजफ्फरपुर के सहयोगी उप कार्यालय के रूप में कार्य करता रहा।

रेल भर्त्ती बोर्ड, पटना के कार्यालय की विकास यात्रा :–

लेकिन वास्तविक रेल सेवा आयोग का जन्म 1981 ई. में उस समय हुआ जब रेलवे बोर्ड ने अपने 17 मार्च, 1981 के पत्र द्वारा इसके सृजन के बारे में अधिसूचना जारी की। पूर्व एवं दक्षिण पूर्व रेल तथा चितरंजन रेल इंजन कारखाना के लिए भर्त्ती कार्य करने वाले रेल सेवा आयोग, कलकता को दो रेलों के लिए दो पृथक आयोगों में विभक्त कर दिया गया। रेल सेवा आयोग, कलकत्ता को दक्षिण पूर्व रेल तथा चितरंजन रेल इंजन कारखाना के लिए भर्त्ती का कार्य सौंपा गया। नये रेल सेवा आयोग, दानापुर को पूर्व रेल के लिए ग्रुप 'सी' कर्मचारियों की भर्त्ती का कार्य सौंपा गया। दानापुर एवं धनबाद मंडल के लिए गैर–तकनीकी लोकप्रिय कोटियों की भर्त्ती का कार्य रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर से लेकर नव सृजित रेल सेवा आयोग दानापुर को सौंपा गया।

नव गठित रेल सेवा आयोग दानापुर 16 मई, 1981 से पूर्णरूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। बाद में रेलवे बोर्ड के दिनांक 31 जुलाई, 1981 के पत्रानुसार रेल सेवा आयोग, दानापुर को चितरंजन रेल ईंजन कारखाना के लिए भर्त्ती का कार्य भी सौंप दिया गया। रेलवे बोर्ड के दिनांक 30 जून, 1981 के पत्रानुसार रेल सेवा आयोग, राँची के प्रशासनिक नियंत्रण को रेल सेवा आयोग, कलकत्ता से स्थानांतरित कर रेल सेवा आयोग, दानापुर को सौंप दिया गया।

<u>रेल सेवा आयोग, पटना का सृजन :–</u>

मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर कार्यालय के पीछे स्थित रेल सेवा आयोग, दानापुर का भवन इतना छोटा था कि इसमें काफी कठिनाई महसूस की जा रही थी। इसलिए सन् 1981 के नवम्बर मास में रेल सेवा आयोग, दानापुर को पटना के जमाल रोल में स्थित एक निजी भवन में स्थनांतरित कर दिया गया और रेलवे बोर्ड के दिनांक 19 दिसम्बर, 1981 के पत्रानुसार इसका दुबारा नामकरण रेल सेवा आयोग, पटना किया गया। हालांकि 1982 में रेल सेवा आयोग, पटना के क्षेत्राधिकार को काफी छोटा कर दिया गया। 23 सितम्बर, 1982 के अपने पत्र के द्वारा रेलवे बोर्ड ने इसके क्षेत्राधिकार को पूर्व रेल के धनबाद, दानापुर एवं मुगलसराय मंडल तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेल के कटिहार मंडल तक सीमित कर दिया। शेष कार्यभार को रेल सेवा आयोग कोलकाता को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार रेल सेवा आयोग, पटना के पास पूर्व कार्यभार का सिर्फ चौथाई अंश रह गया। तद्नुसार, कर्मचारियों के संख्या बल में भी कटौती कर दी। रेल सेवा आयोग, पटना के पहले वाले क्षेत्राधिकार की वापसी हेतु रेलवे बोर्ड के पास कई पत्र भेजे गये लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया।

सन् 1985 में रेल भर्त्ती आयोग, राँची भी पूर्ण अस्तित्व में आ गया और इसे सिर्फ अनुसूचित जन जाति के रिक्तियों के लिए भर्त्ती का कार्य सौंपा गया। इसके बाद पूर्व रेल के धनबाद, दानापुर, मुगलसराय मंडल तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेल के कटिहार मंडल के अनुसूचित जन जाति के रिक्तियों के लिए भी भर्त्ती का कार्य रेल सेवा आयोग, राँची को स्थानांतरित कर दिया गया।

<u>रेल भर्त्ती बोर्ड का पुनर्नामकरण :–</u>

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार दिनांक 2.1.1985 को रेल सेवा आयोग, पटना का नाम बदलकर रेल भर्त्ती बोर्ड, पटना कर दिया गया। सन् 1985 में ही रेल भर्त्ती बोर्ड, पटना के इतिहास में एक और गौरवशाली घटना घटी। दिनांक 31.7.1985 को इसे पटना के जमाल रोड स्थित निजी भवन से पटना के महेन्द्रूघाट में रेल के अपने भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से, रेल भर्त्ती बोर्ड, पटना रेल के अपने भवन में ही कार्य कर रहा है और फिलहाल पूर्व मध्य रेल के दानापुर, मुगलसराय, धनबाद मंडल एवं पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय तथा पूर्वोत्तर रेल के कटिहार मंडल के लिए भर्त्ती–कार्य के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है।